न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00153

उनवान

द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री बालमुकन्द जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरभेजी पत्नि श्री पीतम सिंह (मृतक दौराने वाद)
2. मोहर सिंह
3. रामबाबू
4. रामनाथ

पुत्रगण पीतम सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली तह0 व जिला धौलपुर।

5. श्रीमती शीला देवी पुत्री पीतम सिंह पत्नि हरिओम जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली हाल आबाद ग्राम खानपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
6. रामेश्वर
7. मानिक चन्द

पुत्रगण देवी सिंह जाति लोधा नि0 ग्राम सिंघावली तह0 व जिला धौलपुर

8. हरी सिंह
9. चन्दन सिंह
10. सुन्दर सिंह

पुत्रगण दीनानाथ जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली तह0 व जिला धौलपुर

11. कृष्णा
12. ल्होरे

पुत्रगण गोरा पत्नि हाकिम सिंह जाति लोधा नि0 ग्राम खानपुर तह0 खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0।

13. श्रीमती रामा पुत्री देवी सिंह पत्नि श्यामलाल जाति लोधा निवासी ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर(मृत दौराने वाद)
    13/1. छीतरिया पुत्र श्यामलाल जाति लोधा निवासी ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
14. श्रीमान् सब रजिस्ट्रार महोदय उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 25.05.2017 उनवानी हरभेजी बनाम द्वारिका प्रसाद मु0न. 10/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री योगेश दत्त शर्मा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

निर्णय दिनांक :– 15.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण संख्या 01 लगायत 13 ने एक दावा स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट /प्रतिवादी प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी रैस्पो0/वादीगण के पूर्व पुरूष देवी सिंह के अधिकार खातेदारी की थी। देवी सिंह की मृत्यु के बाद रैस्पो0/वादीगण काबिज काश्त हैं। किन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी के पिता ने बन्दोबस्त अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत 2029 में विवादित आराजी के इन्द्राज अपने नाम करा लिये, जो शून्य व प्रभावहीन हैं। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी विवादित आराजी से रैस्पो0/वादीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा, ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया बल्कि दिनांक 25.05.2017 को अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 04.07.2017 नियत कर बिना किसी आदेश कार्यवाही की गयी। रैस्पो0/वादीगण ने दावे के समस्त पक्षकारों को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है जो कि आवश्यक था इस विधिक त्रुटि को आधीन न्यायालय ने आक्षेपित आदेश अनदेखा कर पारित किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 01 हरभेजी एवं 13 रामा के निधन की सूचना समयबद्ध दी थी। किन्तु रैस्पो0/वादीगण ने मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित करने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सूचना के बाबजूद भी अवेट दावें में आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2015(1) पेज 633 व 726 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है एवं पक्षकारों की उपस्थिति में पारित किया गया है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट के पिता बालमुकन्द ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत 2029 में रैस्पो0 के पूर्व पुरूष देवी सिंह पुत्र जवाहर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में से पोषीदा तौर पर अवैध रूप से बिना रैस्पो0 की जानकारी में लाये, अपने नाम करा लिया। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट की उपस्थिति में पारित हुआ है, जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.05.2017 पर उपलब्ध हस्ताक्षरो से स्पष्ट प्रमाणित है। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्य के गलत होने के आक्षेप की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस तथ्य को तब तक गलत नहीं माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत सिद्ध नहीं कर देते। इसके अतिरिक्त भू प्रबन्ध खसरा नकल के कॉलम संख्या 23 ''नाम कृषक(गत भूमाप)'' में देवी सिंह व कॉलम संख्या 24 '' नाम कृषक वर्तमान'' में बालमुकन्द का नाम दर्ज है। परन्तु यह परिवर्तन कैसें आये, स्पष्ट नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रेस्पो0/वादी के पक्ष में जाहिर है। वैसे भी वादग्रस्त, विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरापद है। यह पाबंदी वाद बहुलता, जटिलता से बचने के लिए आवश्यक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 25.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर